प्रार्थना पत्र 136 एल. आर. ए. नं० सन् 2015

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	3.3.2016 यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.ए प्रार्थी कलाम खॉ पुत्र नईमुद्दीन, मुसलमान निवासी वजीरपुर की ओर से श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट ने हमारे समक्ष पेश किया गया। प्रार्थी के वकील को सुना गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. ए. दर्ज रजिस्टर किया जावे। तहसीलदार वजीरपुर को प्रार्थना पत्र की प्रति भिजवाकर तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही जावे एवं अप्रार्थी की तलबी जरिए नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 12.3.2016 को पेश हो।	
	12-3-2016 पत्रावली आज लोक अदालत में पेश हुई। प्रार्थी कलाम खां, साफरा, शाकिरा तथा इनके वकील उपस्थित है। अप्रार्थी लैण्ड होल्डर तहसीलदार वजीरपुर के यहां से रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। प्रार्थीगण के वकील को सुना गया। प्रार्थीगण के वकील का कथन है कि ग्राम वजीरपुर की जमाबंदी सं. 2068 से 2071 के खाता सं० 74 में दर्ज भूमि में प्रार्थीगण का $\frac{2}{3}$ हिस्सा है। इसमें कलाम खां के पिता का नाम नईमुद्दीन के स्थान पर इमामुद्दीन दर्ज कर दिया गया है एवं प्रार्थिया साफरा, ~~शाकिरा~~ के स्थान पर शाविरा दर्ज कर दिया गया है। इसी प्रकार खाता सं. 68 में कलाम खां के पिता का नाम नईमुद्दीन के स्थान पर इमामुद्दीन, साफरा के स्थान पर साबिरा, शाकिरा के स्थान पर शामिरा दर्ज कर दिया गया है। अतः इन्हे दुरुस्त किया जाकर इनके स्थान पर सही नाम दर्ज किए जावें।	

पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया
प्रार्थी कलाम के फोटो पहचान पत्र में उसके
पिता का नाम नईमुद्दीन अंकित है। तहसीलदार
वजीरपुर से प्राप्त पटवारी रिपोर्ट में नामा० सं०
44 दर्ज करते समय तत्कालीन पटवारी हल्का
ने सहवन से कलाम खां पुत्र नईमुद्दीन
के स्थान पर कलाम खां पुत्र इमामुद्दीन, साफरा
के स्थान पर साबिरा, शाकिरा के स्थान पर शमिरा
दर्ज कर दिया जाना बताया गया है। इस
प्रकार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अभिलेख एवं
रिपोर्ट पटवारी के अनुसार प्रार्थीगण रेकार्ड में
दर्ज उनके गलत नामों को सही दर्ज कराने के
अधिकारी हैं।

अतः प्रस्तुत प्रा०पत्र स्वीकार किया
जाकर ग्राम वजीरपुर की जमाबंदी सं० 2068 से
2071 के खाता सं. 74 में दर्ज प्रविष्टि कलाम
खां पुत्र इमामुद्दीन, शाबिरा, शाकिरा पुत्रियान
नईमुद्दीन हि० $\frac{2}{3}$ के स्थान पर प्रविष्टि
कलाम खां पुत्र नईमुद्दीन, साफरा, शाकिरा
पुत्रियां नईमुद्दीन हि० $\frac{2}{3}$ तथा खाता सं० 68
में दर्ज प्रविष्टि कलाम खां पुत्र इमामुद्दीन,
साबिरा, शमिरा पुत्री इमामुद्दीन हि० $\frac{2}{3}$ के
स्थान पर कलाम खां पुत्र नईमुद्दीन, साफरा,
शाकिरा पुत्रियां नईमुद्दीन हि० $\frac{2}{3}$ दर्ज करने
का आदेश दिया जाता है। इसी अनुसार रेकार्ड
में दुरूस्ती की जावे। इन खातो में दर्ज शेष
प्रविष्टियां यथावत दर्ज रहेंगी। निर्णय की
प्रमाणित प्रतिलिपि पालना हेतु तहसीलदार
वजीरपुर को भेजी जावे। पत्रावली फैसलशुमार
होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील
दाखिल दफ्तर हो।

(रविकुमार शर्मा)	(गोरधनलाल शर्मा)	(मुनिदेव यादव)
एडवोकेट	सेवानिवृत तहसीलदार	अध्यक्ष
सदस्य	सदस्य	लोक अदालत
लोक अदालत	लोक अदालत	गंगापुर सिटी
गंगापुर सिटी	गंगापुर सिटी	उप जिला कलेक्टर
		गंगापुर सिटी